न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजू शर्मा , आर.ए.एस.

——

प्रकरण संख्या– 67 / 2020 वाद

दिनांकः 21.01.2021

उनवान

लक्ष्मण पिता नारू कीर वयस्क निवासी गुल जी का खेडा तहसील भदेसर

.....वादी

।। बनाम ।।

1. जगदीश पिता चूना कीर वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील भदेसर।
2. मथरालाल पिता उदयराम कीर निवासी हापाखेडी तहसील भदेसर
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 रा0 का0 अधि0 1955

उपस्थित– श्री प्रवीण जोशी वकील वादी

श्री उमेश आगाल वकील प्रतिवादी संख्या 1

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183, 188, 209 की धारा के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया –

1. यह कि वाके मौजा हापाखेडी पटवार हल्का नपावली तहसील भदेसर में में वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी की कृषि आराजीयात अवस्थित है जिसके खाता संख्या 63 की आराजी नम्बर 120, 122, 124, 128, 130, , कुल किता–5 कुल रकबा 4.61 हैक्टेयर स्थित है जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें है साक्ष्य में नकल जमाबन्दी 2076 व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया जा रहा है ।

2. यह कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होकर वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा वादीगण इस पर शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें उपरोक्त वादीगण की आराजीयात के पास ही स्थित है

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:22:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

जिसमें प्रतिवादीगण का वादीगण की आराजीयात से किसी प्रकार संबंध सरोकार नहीं है फिर भी वे जबरन धीरे धीरे कर वादीगण की आराजीयात के रकबे को दबाते चले आ रहें है तथा वादीगण द्वारा विरोध करने पर मानने को तैयार नहीं होते है तथा झगडा करने पर आमादा रहते है जिस पर वादीगण ने विधिवत तौर से वाद की कलम संख्या 1 दर्ज आराजी नमबर 120 रकबा 1.58 हैक्टेयर भूमि की नपती कराने हेतु आवेदन पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.5.2019 को आदेश पारित कर तहसीलदार भदेसर को कमीशनर नियुक्त कर पत्थरगढी कराने का आदेश पारित किया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रतिवादीगण को सूचना नोटिस जारी किये एवं दिनांक 21. 6.2019 को मौके पर उपस्थित होने की सूचना पत्र दिया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा पटवारी द्वारा मौके पर जाकर दिनांक 21.06.2019 को विधिवत तौर से आराजीयात की नपती पिन पोईन्ट से की गई तो पाया गया कि वादी की आराजी नमबर 120 रकबा 1.58 की पश्चिम मेड पर पश्चिमी–दक्षिणी कोने पर 10 मीटर भूमि पूर्व पश्चिम की ओर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को वादी की आराजीयात का कब्जा सिपुर्द करने एवं अवैध अतिचार हटाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये तथा धमकियां देने लगे कि जमीन का कब्जा हम तुम्हें नहीं सौपेंगें तुम्हारे में दम हो वो कर लेना इस पर भु अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया गया कि मौके पर किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें एवं आप किसी प्रकार का अतिचार या कब्जा नहीं करोगें । वादी को नियमानुसार वाद दायर कर कब्जा प्राप्त करने हेतु कहा गया तदर्थ वाद श्रीमान् के समक्ष पेश है ।

3. यह कि वादी ने अपने स्तर पर प्रतिवादीगण का अवैध अतिचार हटवाने हेतु काफी प्रयास किया लेकिन प्रतिवादीगण किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं हो रहा है तथा वादीगण को उसके खातेदारी व कब्जे काश्त करने नहीं दे रहा है इसलिए प्रतिवादीगण का जिस कदर व जैसा भी अवैध कब्जा है उसे जरिये अदालत हटाया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द करवाया जाना न्यायोचित हे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना आवश्यक हे कि वो आराजीयात का कब्जा किसी अन्य को अन्तरित

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:22:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

नहीं करें न करावें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे वादीगण के हक अधिकार प्रभावित हो ।

4. यह कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण अभी दिनांक 09.06.2020 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को अवैध अतिचार हुआ कर कब्जा वादीगण के सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये एवं आराजी का अवैध अतिचार अन्य को अन्तरित करने की धमकियां दी तब से पैदा होकर निरन्तर जारी है ।

अतः वाद स्वीकार फरमाया जावे तथा न्यायालय के माध्यम से प्रतिवादी का नाजायज कब्जा हटवाया जाकर वादी की आराजी का कब्जा पुनः दिलाया जावे तथा प्रतिवादीवादीगण को पाबन्द किया जावे कि कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करें न करावें ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये । प्रतिवादी संख्या 3 के प्रतिनिधि उपस्थित जिनहोंनें कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया । प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री उमेश आगाल ने वकालतनामा पेश करते हुए इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया

प्रतिवादी की ओर इकबालिया जवाबदावा किया जाने से वाद बिन्दु कायम नहीं किये गये । वाद के समर्थन में वादी की ओर से वादी का शपथ पत्र एवं विवादित आराजी का जमाबन्दी मौजा हापाखेडी खाता संख्या 63 संवत् 2076 प्रदर्श– 1 जमाबन्दी खाता संख्या 68 प्रदर्श–2नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3 , पत्थरगढी पर्चा मौका दिनांक 21.06.2019 प्रदर्श–4 प्रस्तुत की गई ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी लायक अधिवक्ता वादी ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराया । वकील प्रतिवादी ने वाद के तथ्यों को स्वीकार किया ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.04 15:22:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा के समर्थन में किसी प्रकार के साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये । वादी की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदर्श–1, 2 नक्शा ट्रेस अनुसार विवादीत आराजीयात वादी के खातेदारी हक दर्ज रेकार्ड है जिसकी पत्थरगढी पर्वा मौका प्रदर्श–4 में राजस्व अधिकारियों यथा भू अभिलेख निरीक्षक आसावरा ने वर्णित किया है कि आराजी नम्बर 120 रकबा 1.58 हैक्टेयर भूमि के चारों कोनों की निशादेही कर पत्थर गढवाये गये । आराजी नम्बर 120 की पश्चिमी मेड पर पश्चिमी–दक्षिणी कोने पर 10मीटर भूमि पर जगदीश पिता चुना कीर निवासी हापाखेडी व मथुरालाल पिता उदयराम कीर निवासी हापाखेडी का कब्जा पाया गया । वादी को नियमानुार कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने को कहा गया ।

चूंकि मौजा हापाखेड़ी आराजी नम्बर 120 में वादी का 1/4 हक हिस्सा भूमि दिगर खातेदारान के दर्ज रेकार्ड है जिसकी पश्चिमी मेड पर पश्चिमी–दक्षिणी कोने पर 10 मीटर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ज़गदीश पिता चुना कीर निवासी हापाखेडी व मथुरालाल पिता उदयराम कीर निवासी हापाखेडी का अतिचार है जो ट्रेस पासर की श्रेणी में आने से वादी अपने खातेदारी की आराजी पर पाये गये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का अवैध कब्जा/अतिचार हटवाया जाकर पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है । प्रस्तुत दस्तावेजों से वाद को बखूबी साबित कराया गया है । अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वादी की खातेदारी में दर्ज मौजा हापाखेडी खाता संख्या 63 में वर्णित आराजी नम्बर 120 रकबा 1.58 हैक्टेयर भूमि में पश्चिमी मेड पर पश्चिमी–दक्षिणी कोने पर 10 मीटर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जगदीश पिता चुना कीर निवासी हापाखेडी व मथुरालाल पिता उदयराम कीर निवासी हापाखेडी का का नाजायज कब्जा हटवाया जाकर वादी को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है । तहसीलदार भदेसर को को निर्देशित किया जाता है कि वादी की उक्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.04 15:22:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाजायज कब्जा हटवा कर वादी को सुपुर्द करावें । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द भी किया जाता है उक्त आराजीयात में दखल नहीं करे अवैध अतिचार का कब्जा अन्य किसी को अन्तरित नहीं करें न करावें । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से जारी हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:22:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
बईजलास सुश्री अंजु शर्मा आर.ए.एस0

लक्ष्मण पिता नारू कीर वयस्क निवासी गुल जी का खेडा तहसील भदेसर

.....वादी

।। बनाम ।।

1. जगदीश पिता चूना कीर वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील भदेसर।
2. मथुरालाल पिता उदयराम कीर निवासी हापाखेडी तहसील भदेसर
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 रा0 का0 अधि0 1955

प्रकरण सं0 67/20120

वादी की ओर से वकील श्री प्रवीण जोशी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री उमेश आगाल की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 21.01.2021 .को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद आज डिक्री किया जाता है कि वादी की खातेदारी में दर्ज मौजा हापाखेडी खाता संख्या 63 में वर्णित आराजी नम्बर 120 रकबा 1.58 हैक्टेयर भूमि में पश्चिमी मेड पर पश्चिमी–दक्षिणी कोने पर 10 मीटर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जगदीश पिता चुना कीर निवासी हापाखेडी व मथुरालाल पिता उदयराम कीर निवासी हापाखेडी का का नाजायज कब्जा हटवाया जाकर वादी को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भदेसर को को निर्देशित किया जाता है कि वादी की उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाजायज कब्जा हटवा कर वादी को सुपुर्द करावें । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द भी किया जाता है उक्त आराजीयात में दखल नहीं करे अवैध अतिचार का कब्जा अन्य किसी को अन्तरित नहीं करें न करावें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 21–01–2021 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला–

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:22:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner